IJAER/May- June 2021/Volume-10/Issue-3 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Researc

मुस्लिम महिलाओं पर शिक्षा का प्रभाव एक समाज शास्त्री अध्ययन

Arshi
Research Scholar Department of Sociology
Meerut College, Meerut

Dr.Amarjeet Singh Malik
Associate Professor Department of sociology
Meerut College, Meerut

सार

स्वतंत्रता के बाद भारत में नारी शिक्षा ने काफी प्रगति की। कन्या विद्यालयों औरमहाविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। स्कूलों और कॉलेजों में जाने वाली मुस्लिम लड़कियों की संख्या में भी धीरे-धीरे लेकिन लगातार वृद्धि हुई है। मुस्लिम माता-पिता अपने बेटों के साथ-साथ अपनी बेटियों को भी शिक्षित करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। गाँव की लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं जबकि शहरों में उनमें से कईउच्च शिक्षा प्राप्त कररही हैं। आज़हमारे देश में अतीत की तुलना में आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाली मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। अभी भी मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति औरउनके जीवन पर प्रभाव बहुत धीरे-धीरे औरकभी-कभी बदलरहा है; परिवर्तन बहुत धीमा है, क्योंकि लंबे समयतकमुस्लिम महिलाएँ एकांत में रही हैं औरअधीनता का जीवन जीती हैं, इसलिए उनमें से अधिकांश परिवर्तन के विचार से आशंकित हैं।

मुख्य शब्द- *शिक्षा, साक्षरता की स्थिति, मुस्लिम, महिला शिक्षा, समस्याएं, अल्पसंख्यक।*

प्रस्तावना

हम एकविविध समाज में रहते हैं जो मूल रूप से प्रकृति में पितृसत्तात्मक है। सामाजिक मिश्रण भारतीय महिलाओं के लिए भेदभाव से बचने, बेहतर अवसरों तकपहुंचने औरखुद को सशक्त बनाने के लिए मुश्किल बनाता है। यह पितृसत्तात्मक समाज की एक वास्तविकता भी है कि वर्ग, जाति औरधार्मिक पहचान के बावजूद महिलाओं को न केवल घर के अंदर, बल्कि लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर उनके समुदाय में। पूरे विश्व में महिलाओं को सशक्त बनाने औरमहिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है।

वैश्वीकरण के वर्तमान युग में, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख एजेंट बन गई है जो समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को बढ़ाने वाले तंत्र के रूप में कार्य करती है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता औरसशक्तिकरण की ओरले

जाता है, जो महत्वपूर्ण सामाजिक विकास लाभ देता है औरएक व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए, शिक्षा में लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, यह विकास का मुद्दा है। हालाँकि, सामान्य रूप से शिक्षा के संबंध में औरविशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए महिलाओं औरपुरुषों के बीच असमानता बनी हुई है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, 48.1% मुस्लिम महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं

भारत में उच्च शिक्षा औरमुस्लिम लड़कियों की भागीदारी

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलू औरमुद्दे उच्च शिक्षा में मुस्लिम लड़कियों के हाशिए पर जाने के मुद्दे को समझने के लिए एकखराब पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। यह एकतथ्य है कि 1980 के दशकतक, भारत में उच्च शिक्षा मुख्य रूप से (हालांकि विशेष रूप से नहीं) एकसार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम था जो कमया कोई शुल्क नहीं लेता था। सरकारी स्कूलों के बारे में लेखन, डायसन एट अल। (2009) का तर्क है कि वे शिक्षकों की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति औरशिक्षकों के अल्प-कार्यकाल के अनुबंधों के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं। उदाहरण के लिए, द्रेज औरसेन (2013) ने अनुमान लगाया है कि सरकारी स्कूलों में व्याप्त कमियां वास्तविक शिक्षण समयको एकचौथाई तककमकर देती हैं जो कि होना चाहिए। शिक्षक अक्सर सरकारी संस्थानों में पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वहां वेतन निजी शिक्षण संस्थानों की तुलना में कमहोता है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है (उमाशंकर औरदत्ता: 2007)। उनका तर्क है कि दो-तिहाई भारतीय कॉलेज औरविश्वविद्यालय गुणवत्ता के मानक को पूरा नहीं करते हैं।

इसके अलावा, सार्वजनिक संस्थान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उच्च शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं (हाई: 2010) और भारतीय मध्य वर्ग (अग्रवाल: 2009) द्वारा गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र का तेजी से निजीकरण किया जा रहा है। स्वामित्व औरवित्त पोषण दो ऐसे आयाम हैं जो सार्वजनिक औरनिजी शिक्षण संस्थानों को अलगकरते हैं। कुछ 'निजी' संस्थान सरकार से परिचालन निधि प्राप्त करते हैं और'निजी-सहायता प्राप्त' संस्थानों के रूप में जाने जाते हैं, जबकि बिना सहायता वाले संस्थान पूरी तरह से निजी संस्थान हैं। निजी संस्थानों का नियंत्रण अकादमिक के साथ-साथ प्रशासनिक भी हो सकता है, जिसमें वित्तीय नियंत्रण भी शामिल है, जबकॉलेज को उसकी फंडिंग एजेंसी द्वारा प्रशासित किया जाता है (अग्रवाल: 2009)। कईनिजी संस्थान परिवार के स्वामित्व में हैं औरसभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए पारिवारिक व्यवसायों के रूप में काम करते हैं जो छात्रों द्वारा भुगतान किए गए वार्षिक प्रवेश/ट्यूशन शुल्क के माध्यम से अपने खर्चों को पूरा करते हैं। कानून के अनुसार, निजी संस्थाएँ कथित रूप से गैर- लाभकारी संस्थाएँ हैं जो धर्मार्थ समितियों या ट्रस्टों के माध्यम से स्थापित औरकार्य कर रही हैं, लेकिन बहुत कमवास्तव में गैर-लाभकारी संस्थान हैं (अग्रवाल: 2009)। निजी संस्थान अक्सर अत्यधिक कैपिटेशन (ट्यूशन से परे शुल्क) औरअन्य संस्थागत शुल्क एकत्र करते हैं जो उनके वित्तीय लेखांकन में शामिल नहीं होते हैं। अक्सर यह अवैध

धन धोखाधड़ी के माध्यम से आता है जब अमीर प्रवेश प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके प्रवेश प्राप्त करते हैं (अग्रवाल: 2009)। यह विसंगति उच्च शिक्षा के विनियामक औरवित्त पोषण डोमेन (अग्रवाल: 2009) में नीतिगत शून्यता के कारण है।

वर्तमान अनुसंधान

हमारा वर्तमान शोध एकगुणात्मक शोध है औरयह 100 मुस्लिम लड़कियों पर आयोजित किया गया था जो बीए के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया की निजी परीक्षा में शामिल हुई थीं। बेशक। हमारे उत्तरदाता पुरानी दिल्ली, सीलमपुर , जाफराबाद और जैतपुर इलाके से थे। आयवर्ग 15,000-25,000 था। आयु वर्ग 20-30 वर्ष था। 100 उत्तरदाताओं में से, 35 विवाहित थे और56 उत्तरदाता अविवाहित थे और7 तलाकशुदा और2 विधवाएँ थीं। डेटा संग्रह की एकविधि के रूप में केंद्रित समूह साक्षात्कार और चर्चा का उपयोग किया गया था। वर्तमान शोध के निष्कर्ष उत्तरदाताओं के आख्यानों पर आधारित हैं।

महिला शिक्षा का महत्व :

इस्लाम के अनुसार, "एकमाँ की गोद बच्चे की पहली पाठशाला होती है।" "सभी के लिए शिक्षा" भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख नारों में से एकहै, लेकिन फिर भी हमारे पास एशिया में सबसे कममहिला साक्षरता दर है। लड़कियों औरमहिलाओं की शिक्षा विकास अनिवार्यता औरमानव अधिकार दोनों के रूप में प्रमुख राष्ट्रीय चिंता का क्षेत्र है। भारतीय लड़कियों औरमहिलाओं को शिक्षा सहित विभिन्न प्रकार के सामाजिक भेदभाव के अधीन किया गया है। उन्हें भारतीय आबादी के सबसे वंचित औरवंचित वर्ग के रूप में देखा जाता है। माता-पिता विशेष रूप से समाज के निचले तबके में अपने लड़के को स्कूल भेजते हैं लेकिन लड़की को नहीं। विशेष रूप से मुस्लिम महिलाएं समुदाय की पारंपरिक सामाजिक संरचना की शिकार बनी हुई हैं।

नेपोलियन के अनुसार, “प्रशिक्षित औरअशिक्षित माताओं के बिना राष्ट्र की प्रगति असम्भव है। अगर मेरे देश की महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी, तो लगभगआधे लोग अज्ञानी होंगे।” शिक्षा महिलाओं को सशक्त बनाने का एकमहत्वपूर्ण कारक है। शिक्षित महिलाएं न केवल अपनी बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, बल्कि अपने सभी बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकती हैं। शिक्षा महिलाओं को अज्ञानता से मुक्त करती है, आत्म-सम्मान बढ़ाती है औरउन्हें अपने जीवन पर नियंत्रण करने में मदद करती है औरअपने परिवार की प्रगति का मार्गदर्शन करती है। महिलाएं समाज की रीढ़ होती हैं। किसी भी समाज या संस्कृति में महिलाओं की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। एकशिक्षित महिला समाज से अंधविश्वासों, रूढ़िवादी मान्यताओं औरमानदंडों को दूर करने में मदद करसकती है। एकशिक्षित महिला एकबेहतर इंसान, सफलमां औरएकजिम्मेदार नागरिक हो सकती है। नेपोलियन ने एक बार कहा था, "मुझे शिक्षित माताएँ दो औरमैं तुम्हें शिक्षित राष्ट्र दूँगा।" इसलिए, देश के नियोजित सामाजिक-आर्थिक विकास के एकअभिन्न अंग के रूप में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कईरणनीतियाँ अपनाई गईं।

उद्देश्यः-

1. मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की स्थिति को ज्ञात करना।
2. शासन द्वारा मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिये किये जा रहे शासकीय प्रयत्नो को ज्ञात करना।

भारत में मुस्लिम महिला शिक्षा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :

आजादी से पहले

19वीं शताब्दी: 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में सीखने की स्वदेशी प्रणाली बहुत लोकप्रिय थी। सीखने की स्वदेशी प्रणाली में महिलाओं के लिए शैक्षिक सुविधाएं पाठशालाओं , मकतबों औरमदरसों जैसी थीं । शिष्टाचार परिवार की महिलाओं को केवल अरबी में कुरान पढ़ना औरसंयोग से उर्दू औरफारसी पढ़ना सिखाया जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम महिलाओं की औपचारिक शिक्षा के लिए संघर्ष शुरू हुआ ।

1894: सर मौलाना हाली औरशेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष का बीड़ा उठाया। सर मौलाना हाली ने पानीपत में अपने परिवार औरदोस्तों की बेटियों के लिए एकछोटा प्राथमिक विद्यालय शुरू किया।

1896 : मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर कुछ ध्यान देने के लिए ख्वाजा गुलामुस द्वारा एकक्रांति की शुरुआत की गई।

1902 : शेख अब्दुल्ला दिल्ली में मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के वार्षिक अधिवेशन में महिला पीठ की सचिव बनीं। यह निर्णय लिया गया कि स्कूल महिला शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एकसामान्य स्कूल हो ताकि वे अपने घरों में उच्च वर्ग के परिवारों की मुस्लिम लड़कियों को पढ़ा सकें।

1903: सुल्तान जहाँ भोपाल की बेगम थीं औरभारतीय इतिहास की पहली महिला भी थीं, जो शिक्षा के माध्यम से महिलाओं की मुक्ति में विश्वास करती थीं। उन्होंने 1903 में मुस्लिम लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किया जो सुल्तानिया स्कूल है।

1904: अलीगढ़ में मुस्लिम लड़कियों के लिए एकस्कूल के विचार को लोकप्रिय बनाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने एकमासिक पत्रिका 'खातून' प्रकाशित की।

1906 : लखनऊके वार्षिक मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन में अलीगढ में बालिका विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा 1906 में विद्यालय खोला गया।

1911: रोकैया द्वारा बंगाल में सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल शुरू किया गया सखावत हुसैन.

1912 : मौलाना करामत हुसैन औरमहमूदाबाद के राजा ने भी लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया और1912 में लखनऊमें एक बालिका विद्यालय शुरू किया।

फिर ब्रिटिश सरकार आईजिसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकउदार नीति अपनाई। कईयोजनाएं शुरू की गईं। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एनी बेसेंट औरसर सैयद अहमदखान सहित कुछ यादगार नेता थे जिन्होंने हमारे देश में महिला शिक्षा की वकालत की। 1875 में सर सैयद अहमदखान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल (MAO) कॉलेज की स्थापना की जो एकमहत्वपूर्ण मोड़ के रूप में आया।

आजादी के बाद

आजादी के बाद विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49), द्वितीय शिक्षा आयोग (1952-53), महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति (1958-59), कोठारी शिक्षा आयोग (1964-66), राष्ट्रीय नीति शिक्षा (1979), राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), महिलाओं पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (1988), आदि सभी आयोगों औरसमितियों ने सामान्य रूप से महिलाओं की समस्या पर जोर दिया, लेकिन विशेष रूप से मुस्लिम महिलाओं के लिए नहीं। अब21वीं सदी में मुस्लिम महिलाओं का विकास भारत में सामाजिक-सांस्कृतिक औरआर्थिक विविधता से जुड़ा हुआ है। इसलिए, शिक्षा में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा एकमहत्वपूर्ण घटकहोने के साथ-साथ मुस्लिम महिलाओं के विकास का सूत्रधार भी है।

भारतीय मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय में सामान्य रूप से निम्नलिखित विशेषताएँ देखी जा सकती हैं:

- यह वृहद् समुदाय का उप-समुदाय है जिनकी संख्या अन्य लघु समुदायों की अपेक्षा सर्वाधिक हैं। ;
- यह समुदाय परस्पर भाषा एवं संस्कृति के आधार पर एक सूत्र में बंधा हैं।
- इस समुदाय के सामान्य सदस्यगण अपने प्रति किए गए व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते । आर्थिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में इनकी पहुँच सीमित होती है।
- सरकार के अनेकानेक कल्याणकारी कार्यक्रमों के बाद भी मुस्लिम समुदाय में एक असुरक्षा की भावना दृष्टिगोचर होती है, जिसकी अभिव्यक्ति समय-समय पर विभिन्न रूपों में होती रही है।

उत्तरदाताओं का चयन:-

अध्ययन हेतु प्रस्तावित 24 वार्ड में 624 मुस्लिम परिवार निवासरत् है। अध्ययन हेतु प्रत्येक वार्ड के 50 प्रतिशत परिवार से महिलाओं का चयन उत्तरदाता के रूप में किया गया। इस प्रकार 624 परिवारों में से 312 का चयन देव निदर्शन प्रविधी के लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया गया है।

तथ्य संकलन की प्रविधि एवं उपकरण:-

प्रस्तुत अध्ययन कार्य के लिये साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि 62 (20 प्रतिशत) उत्तरदाता महिलाएँ अशिक्षित हैं और अधिकांश 79 (25 प्रतिशत) उत्तरदाता महिलाओं का शैक्षणिक स्तर प्राथमिक है तथा 11 (3.5 प्रतिशत) उत्तरदाता महिलाएँ स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि मुस्लिम महिला अति में भी शिक्षा का प्रसार हो रहा है किन्तु मुस्लिम महिलाओं की उच्च शिक्षा की स्थिति निम्न है। मुस्लिम महिलाओं में अभी भी उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी है।

उत्तरदाता के परिवार के सदस्यों की शैक्षणिक स्तर संबंधी सारणी से यह स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 312 (21.05 प्रतिशत) सदस्य प्राथमिक शिक्षा ग्रहण किए हैं, 299 (20.18 प्रतिशत) सदस्य मिडिल, 258 (17.41 प्रतिशत) सदस्य हाईस्कूल, 191 (12.89 प्रतिशत) सदस्य स्नातक, 162 (10.93 प्रतिशत) सदस्य हायर सेकेण्डरी, 106 (7.15 प्रतिशत) सदस्य शिक्षा प्रारम्भ नहीं किये हैं, 85(5.73 प्रतिशत) सद्स्य स्नातकोत्तर, 69 (4.65 प्रतिशत) सदस्य अशिक्षित हैं। अतः सारणी से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम परिवारा में शिक्षा का प्रसार हो रहा है किन्तु अधिकांश सदस्यों की शिक्षा प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलो तक ही सीमित है। स्नातकोत्तर तक शिक्षा सबसे कम सदस्य ने प्राप्त की है।

उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अधिकांश 291 (93.3 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि लड़कियां की समाज में निम्न स्थिति का कारण अशिक्षा है और 21 (6.7 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि लड़कियों की समाज में निम्न स्थिति का कारण अशिक्षा नहीं है। अध्ययन से प्राप्त तथ्य यह दर्शाते है कि मुस्लिम लड़कियों की समाज में निम्न स्थिति का एक कारण अशिक्षा है। तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 35.9 प्रतिशत मुस्लिम महिलाएं इस बात से सहमत है कि मुस्लिम समुदाय में प्रचलित पर्दा प्रथा, 26.9 प्रतिशत महिलाओं ने समाज की परंपरागत पिछड़ी सोंच को तथा 26.6 प्रतिशत महिलाओ ने मुस्लिम परिवारों में व्याप्त निर्धनता को अशिक्षा का मुख्य कारण माना है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यदि हम प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट है कि कुछ मुस्लिम परिवारों में अभी भी परंपरागत सोंच कायम है और वे लडकियों की शिक्षा के पक्षधर प्रतीत नही होते है।

निष्कर्ष:-

देश की मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु जन जागरण, शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं स्वयं उन्हें देश के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु सभी को सम्भावित प्रयास करने होंगे । केन्द्र एवं राज्य सरकारों का विशेष शिविरों का आयोजन कर मुस्लिम महिलाओं के उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्तर को उठाना होगा, तभी देश का सर्वागीण विकास हो पायेगा । लेखक द्वारा

अंकित शोध के मुख्य परिणामों एवं सुझावों पर सरकार द्वारा अमल करने की महत्ती आवश्यकता है । शिक्षित महिला भविष्य में निराशा एवं शोषण के अंधकार से निकलकर परिवार समाज व राष्ट्र के विकास और उत्थान में अपना उत्तरदायित्व सही अर्थों में स्थापित कर सकती हैं। अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि अधिकाश उत्तरदाता मुस्लिम महिलायें और उनके परिवार की उच्च शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं है, और अधिकांश उत्तरदाता मुस्लिम महिलाओं का मानना है कि समाज में लड़कियो की निम्न स्थिति का एक कारण उनकी अशिक्षा है। अशिक्षा मुस्लिम महिलाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुभव किया जा रहा है कि महिलाओं की शिक्षा के दिशा में प्रयास के बिना समाज का सन्तुलित विकास सम्भव नहीं है। लड़कियां के शिक्षा के विकास में सरकार लगातार प्रयासरत् रही है, और विभिन्न शिक्षा कार्यक्रम तथा नीतियों को लागू कर इनको आवश्यकतानुसार निर्देशित करती रहती हैं और उनका मार्गदर्शन भी करती रहती हैं। सरकार को इस प्रयास में सफलता भी मिली है। तथापि इस दिशा में और अधिक प्रयास करने की नितांत आवश्यकता है।

संदर्भ

[1] इंजीनियर, असगरअली (1995): भारत में मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं। ओरिएंट लॉन्गमैन लिमिटेड, कमानी मार्ग, बॉम्बे (मुंबई) - 400 038।

[2] अब्बास, टी. (2003): " युवा दक्षिण एशियाई महिलाओं की शिक्षा पर धार्मिक सांस्कृतिक मानदंडों औरमूल्यों का प्रभाव ।" समाजशास्त्र के ब्रिटिश जर्नल।

[3] हसन, मुशीरुल (2003): मुस्लिम्स इन सेक्युलर इंडिया: प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्ट्स। एकेडमी ऑफ थर्ड वर्ल्ड स्टडीज, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली।

[4] शिंदे, डॉ., एसवी औरजॉन, डॉ. एनी: "भारत में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति।" रिसर्च की समीक्षा, वॉल्यूम। 1, अंक VI, मार्च 2012।

[5] काज़ी, सीमा: भारत में मुस्लिम महिलाएँ। अल्पसंख्यक अधिकार समूह (MRG), फरवरी, 1999।

[6] भट्ट, बीडी औरशर्मा, एसआर(1992)। महिला शिक्षा औरसामाजिक विकास। नई दिल्लीः कनिष्क पब्लिशिंग हाउस।

[7] मारिडुला , बी (1997)। भारत में महिलाएं: कुछ मुद्दे। नई दिल्ली: एपीएच पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन।

[8] शर्मा, एस। (2006)। शैक्षिक महिला अधिकारिता, योजना , वॉल्यूम। 50, पीपी. 52-57.

[9] मिश्रा, आरसी (2005)। महिला शिक्षा। नई दिल्ली: एपीएच पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन।

[10] गिरिजा, केएस औरखसवराज , जी. (2014)। कर्नाटक में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति। मानविकी, कला, वॉल्यूम के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 2, अंक 11, 37-42

[11] बानो, एफ। (2017)। भारत में मुस्लिम महिलाओं की शैक्षिक स्थिति: एक सिंहावलोकन। मानविकी औरसामाजिक विज्ञान का आईओएसआर जर्नल (आईओएसआरजेएचएसएस), खंड 22, अंक 6, पीपी 10-13

[12] रहमान , एच। औरबर्मन, एच। (2015)। मुस्लिम एंड एजुकेशन ऑफवेस्ट बंगाल: थ्योरी टू प्रैग्मेटिज्म। मानविकी और सामाजिक विज्ञान आविष्कार का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, खंड 4 अंक 5, पीपी.32-38

[13] रहमान , एच। औरबर्मन, एच। (2015)। मुस्लिम एंड एजुकेशन ऑफवेस्ट बंगाल: थ्योरी टू प्रैग्मेटिज्म। मानविकी और सामाजिक विज्ञान आविष्कार का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, खंड 4 अंक 5, पीपी.32-38

[14] आबिदी, अजरा। 2015. मुस्लिम लड़कियों का शैक्षिक हाशियाकरण: राज्य औरधर्म की भूमिका पर एक अध्ययन , सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम। 3 अंक 1, 2015, आईएसएसएन2320-9283 पृष्ठ संख्या-192-205

[15] अग्रवाल, बी. 2000. "कॉन्सेप्टुअलाइज़िंग एनवायरनमेंटल कलेक्टिव एक्शन: व्हाई जेंडर मैटर्स" कैम्ब्रिज जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स 24 (3): 283-310। डीओआई:10.1093/ सीजेई /24.3.283.

[16] अग्रवाल, पी. 2009. इंडियन हायर एजुकेशन: एनविजनिंग द फ्यूचर। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशंस इंडिया प्रा.10.4135/9788132104094

[17] बसंत, आर 2012. "एजुकेशन एंड एंप्लॉयमेंट अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया: एन एनालिसिस ऑफपैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। "वर्किंग पेपर 2013-09-03, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद

[18] चोपड़ा, आर। 2005। "सिस्टर्स एंड ब्रदर्स: स्कूलिंग, फैमिली एंड माइग्रेशन" इन एजुकेशनल रेजीम्स इन कंटेम्पररी इंडिया, आर।चोपड़ा औरपी। जेफरी द्वारा संपादित, 299-320। नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स इंडिया प्राइवेट

[19] द्रेज , जे. औरए. सेन 2013. एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कंट्राडिक्शन्स। एलन लेन: पेंगुइन बुक्स की एकछाप

[20] डायसन, टी., आर कैसेन औरएल. विसारिया , 2009, "एजुकेशन एंड लिटरेसी" इन ट्वेंटी-फर्स्ट सेंचुरी इंडिया: पॉपुलेशन, इकोनॉमी, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, 130-157। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।